सं0 11030/13/78-आ0भा0से0(11)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001 दिनांक 6 जून, 1978

अधिसूचना

सा0का0नि0 केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा(वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1- (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा(वेतन) (संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2- भारतीय पुलिस सेवा(वेतन) नियम, 1954 में नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"8क - सेवा के किसी सदस्य के निम्नतर वेतनमान वाले पद से अनुसूची 3 में सम्मिलित उच्चतर वेतनमान वाले पद में नियुक्ति पर वेतन का नियतन

(1) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट और सेवा के समय वेतनमान से अधिक वेतनमान वाला पद धारण करने वाले सेवा के किसी सदस्य का वेतन, उच्चतरवेतनमान वाले उक्त अनुसूची के किसी अन्य पद पर नियुक्ति पर, उस उच्चतर वेतनमान के न्यूनतम पर या उस उच्चतर वेतनमान में उस प्रक्रम पर जो निम्नतर वेतनमान में उसके द्वारा लिए जा रहे वेतन से अधिक है, इनमें से जो भी उच्चतर हो, नियत किया जाएगा ।

टिप्पण : उच्चतर वेतनमान का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए किसी पद से सम्बद्ध विशेष वेतन, यदि कोई हो, लेखे में नहीं लिया जाएगा ।

टिप्पण 2: चयन श्रेणी के पद सेवा के समय वेतनमान पद समझे जाएंगे ।

....2/-

(2) जब सेवा के किसी सदस्य के उपनियम(1) में निर्दिष्ट निम्नतर वेतनमान में, उस उपनियम में उसका वेतन नियत किए जाने के पश्चात् वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण या अन्यथा कोई वृद्धि होती है तो उसका वेतन ऐसी वृद्धि की तारीख से उच्चतर वेतनमान में इस प्रकार से पुनः नियत किया जाएगा मानों वह व्यक्ति उसी तारीख को उस वेतनमान में नियुक्त किया गया हो ।

(3) उपनियम(1) के अधीन वेतन नियत करते समय सेवा के किसी सदस्य द्वारा निम्नतर वेतन में लिया जा रहा विशेष वेतन, यदि कोई हो, लेखे में नहीं लिया जाएगा, किन्तु निम्नतर वेतनमान में ऐसे सदस्य द्वारा लिए जा रहे वेतन और विशेष वेतन तथा उच्चतर वेतनमान में नियत वेतन का अन्तर ऐसे सदस्य को व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जो उसके भविष्य की वेतन वृद्धियों में लिख लिया जाएगा

परन्तु यह तब जब यह प्रमाणित किया जाए कि यदि सदस्य को उच्चतर वेतनमान के पद पर नियुक्ति न की गई होती तो वह निम्नतर वेतनमान में विशेष वेतन लेता रहता :-

परन्तु यह और कि इस उपनियम के अधीन विशेष वेतन के संरक्षण का प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक सदस्य, यदि वह निम्नतर वेतनमान में बना रहता तो, विशेष वेतन लेता रहता ।

स.र.वर्मा
(स०आर०वर्मा)
ऐस्ट अधिकारी